

(b) whether it is a fact that large number of children are engaged in bidi sector;

(c) if so, how does Government propose to monitor and curb such child labour in bidi sector; and

(d) the steps proposed in this regard?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Section 3 of the Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 prohibits the employment of children in certain occupation and processes, including bidi making. To prevent engagement of children in contravention of the provisions of the Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986, enforcement machinery exists both at the Central and State levels for enforcement of the Act in the Bidi making establishments, the State Governments are the appropriate Government. Employers are liable to be prosecuted for violation of the provisions of this Act.

(b) Industry wise employment of child labour is not maintained.

(c) and (d) Government is presently engaged in the task of eliminating child labour which is estimated at 20 lakhs. Under the National Child Labour Projects Scheme, presently 76 projects are under implementation in all States to cover around 1,51,000 children. These projects also cover children withdrawn from bidi making in States like Orissa, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. A major activity undertaken under the NCLP is establishment of special schools to provide education upto primary level, impart vocational training, and provide supplementary nutrition etc., to the children from hazardous employments. In addition, the National Authority for the Elimination of Child Labour has also adopted a plan of action titled "Identification, Release and Rehabilitation of Child Labour" to tackle the problem of child labour in the country. Briefly, it calls for a

convergence of services and schemes of the Central and State Governments at the implementing level the District-to inter alia ensure the identification and rehabilitation of child labour, the economic rehabilitation of the family with child labour and stricter enforcement of relevant laws. This plan of action has been sent to all the States/UTs for follow-up.

मांस का निर्यात

*180. श्री राघवजी: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सच है कि भारत से मांस के निर्यात में प्रति वर्ष वृद्धि हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारत से कितनी-कितनी मात्रा में मांस का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार को मांस के निर्यात के विरोध में कोई ज्ञापन मिला है;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) 1996 में विदेशों को माह-वार और दिशा-वार कितनी-कितनी मात्रा में मांस का निर्यात किया गया?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी हां।

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष भारत से निर्यात किए गए मांस की मात्रा निम्नानुसार थी:

वर्ष	मात्रा (एमटी)
1991-92	89208
1992-93	95334
1993-94	112793
1994-95	127751
1995-96	172695

(स्रोत: डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता)

(ग) और (घ) पशुओं के वध तथा मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कुछ अध्यावेदन मिलते रहे हैं। सरकार की नीति में कुछ शर्तों के अधीन मांस का निर्यात करने के अनुमति है। कित गौ के मांस

के निर्यात पर प्रतिबंध है। मौजूदा नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जनवरी से अप्रैल, 1996 की अवधि के दौरान विदेशों को निर्यात किए मांस की भाँजा के महवार तथा दिशावा आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित "मंथली स्टैटिस्टिक्स आफ दि फारेन ट्रेड आफ इण्डिया" में उपलब्ध है जिसकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। मई और जून, 1996 के महीनों के निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

Welfare of SCs/STs and other weaker sections in Punjab

724. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) amount sanctioned to Government of Punjab by the Central Government for the welfare of SCs/STs and other weaker sections of society during the last three years;

(b) amount spent for welfare of people out of the sanctioned amount; and

(c) funds sanctioned for current financial year?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) The amount sanctioned by the Central Government to the Government of Punjab, year-wise, is as under:

	(Rs. in lakhs)
1993-94	1766.77
1994-95	2087.74
1995-96	1827.95

(b) The amount spent by the Government of Punjab for welfare of people out of the sanctioned amount, year-wise, is as follows:

	(Rs. in lakhs)
1993-94	1304.44
1994-95	1177.01
1995-96	154.35

(c) Funds sanctioned for current financial year are Rs. 506.77 lakhs.

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति और नई अतिरिक्त नीति

725. श्री विष्णु कान्त शास्त्री:

श्री वेद प्रकाश पी० गोयल:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी रही है;

(ख) क्या यह सच है कि नई आर्थिक नीति लागू किये जाने के बाद से देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या निरंतर वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

श्रम मंत्री: (श्री एम० अरूणाचलम): (क) वर्ष 1994, 1995 के अंत में तथा 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों, आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या क्रमशः 366.9, 367.4 तथा 368.3 लाख थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यद्यपि नई आर्थिक नीति के 1991 में प्रारम्भ से रोजगार चाहने वालों की संख्या में कोई दीर्घ कालिक वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई नहीं दी है, सरकार ने रोजगार सृजन को अपनी विकास योजनाओं हेतु किये जाने वाले प्रयासों के केन्द्र में रखा है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च रोजगार संभाव्यता वाले सैक्टरों तथा सब-सैक्टरों यथा कृषि, कृषि तथा ग्राम्य उद्योग, ग्रामीण मूल संरचना लघु एवं विकेन्द्रीकृत विनिर्माण क्षेत्र, शहरी अनौपचारिक तथा सेवा क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, पहले से चालू योजनाओं यथा, आई आर डी पी, जे आर वाई तथा एन आर वाई के साथ-साथ नई रोजगार सृजन योजनाएं यथा रोजगार आश्वासन योजना (ई ए एस), प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) तथा खादी ग्रामोद्योग कमीशन (के वी आई सी) की 20 लाख रोजगार अवसरों की योजनाएँ आरम्भ की गई हैं। प्रधान मंत्री की एकीकृत शहरी निर्धनता उपशमन कार्यक्रम (आई यू पी ए सी) में रोजगार सृजन की समग्रता के साथ जनसंख्या के निर्धन वर्गों को मूल सेवाओं की प्रावधान इसकी एक आधारभूत विशेषता है।